<u>न्यायालय–दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> तहसील बैहर, जिला–बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक-727 / 2013 संस्थित दिनांक-20.08.2013 फाईलिंग क.234503001132013

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–बिरसा,	
जिला–बालाघाट (म.प्र.)	 <u>अभियोजन</u>

/ / विरूद्ध / /

उदेलाल पुषाम पिता प्यारेलाल पुसाम जाति गोंड उम्र 37 वर्ष साकिन बोरखेड़ा थाना बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — <u>अभियुक्त</u>

// <u>निर्णय</u> //

(आज दिनांक-12.04.2018 को घोषित)

- 1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—15.08.2013 को रात्रि करीब 8:00 बजे ग्राम बोरखेड़ा थाना बिरसा अंतर्गत लोक स्थान पर फरियादी सगनूसिंह को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित कर धारदार दातों को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुए आहत सगनूसिंह को धारदार दांतों से काटकर एवं हाथ मुक्के से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 2— अभियुक्त को राजीनामा को आधार पर दिनांक—26.04.2017 के आदेश के द्वारा भा.द.वि. की धारा—294 के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। भा.द.वि. की धारा—324 राजीनामा योग्य नहीं होने से इस धारा में प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।
- 3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सगनूसिंह पुषाम दिनांक—15.08.2013 की रात्रि करीब 8:00 बजे, गुरूवार के दिन गांव के सूरज सूर्यवंशी की दुकान से अण्डा खरीदकर घर वापस आ रहा था, तभी स्कूल के सामने चौक मेन रोड़ पर पहुंचा था, वहां पर अभियुक्त उदेलाल खड़ा था। फरियादी को देखकर अभियुक्त कहने लगा था कि वह जमीन का हिस्सा क्यों नहीं देता है। तब फरियादी ने अभियुक्त से कहा था कि जमीन का बंटवारा तो

बहुत पहले हो गया है, जिसमें 6—6 एकड़ जमीन हिस्से में आयी थी, अभियुक्त ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी है, तब अभियुक्त गुस्से में आकर फरियादी को मादर चोद, बहन चोद की गंदी—गंदी गालियां देने लगा था। फरियादी ने अभियुक्त को गालियां देने से मना किया था तो अभियुक्त ने फरियादी को पकड़कर हाथ मुक्कों से मारा था जिससे फरियादी को दाहिने हाथ, कोहनी में चोट लगी थी एवं अभियुक्त ने फरियादी को दांए तरफ सीने में दांत से काट दिया था, जिससे खून निकल रहा था। तब फरियादी चिल्लाया था तो पड़ोसी दिनेश मेरावी, राजकुमार पुषाम, संतलाल मेरावी ने आकर बीच बचाव किया था एवं घटना को देखी एवं सुनी थी। पुलिस थाना बिरसा ने फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध कमांक—109/2013 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

- 4— प्रकरण में अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया, समझाया गया था तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।
- 5— अभियुक्त का धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।
- 6— <u>प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है</u>:—
 - 1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक—15.08.2013 को रात्रि करीब 8:00 बजे ग्राम बोरखेड़ा थाना बिरसा में धारदार दातों को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुए आहत सगनूसिंह को धारदार दांतों से काटकर एवं हाथ मुक्के से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की ?

—:विवेचना एवं निष्कर्ष :-

7— सगनुलाल अ.सा.01 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना वर्ष 2013 की शाम के समय की है। साक्षी उसकी दुकान से वापस आ रहा था, तभी अभियुक्त उदेलाल पीछे से आया था। साक्षी की कनपटी में चप्पल से मारा था। साक्षी को पकड़कर सीने में दांत से काट लिया था। घटना के बाद साक्षी ने आवाज लगाई थी, तब उसका पुत्र राजकुमार एवं भांजा संतलाल आये थे, उन्होंने बीच—बचाव किया था। साक्षी ने घटना के तुरंत बाद थाना बिरसा में जाकर घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 लिखाई थी। पुलिस ने साक्षी का मुलाहिजा बिरसा अस्पताल में कराया था। पुलिस मौके पर आई थी। साक्षी की निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी—2 बनाया था। प्रदर्श पी—1 की रिपोर्ट, प्रदर्श पी—2 के नक्शामौका पर साक्षी के कमशः ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में साक्षी के बयान लिये थे।

- 8— संतलाल अ.सा.02 का कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन कथनों से एक वर्ष पूर्व की शाम के लगभग 7:00 बजे की है। घटना दिनांक को जमीन की बात पर से अभियुक्त एवं सगनु के बीच झगड़ा हो रहा था। अभियुक्त ने आहत सगनु के सीने में काट लिया था। साक्षी ने उन्हें अलग किया था। पुलिस ने साक्षी से पूछताछ कर कथन लिये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि अंधेरा होने के कारण वह नहीं देख पाया था कि किसने किसको काटा था।
- 9— दिनेश अ.सा.03 का कहना है कि उसे घटना की जानकारी नहीं है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन होता हो। सूरजलाल अ.सा.04 का कहना है कि घटना कब की है, उसे पता नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी एवं ना ही उसके बयान लिये थे। इस साक्षी ने उसकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। 10— किरण कुमार बाहेश्वर अ.सा.07 का कहना है कि वह दिनांक—15.08.2013 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक मोहर्रिर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी सगनु ने अभियुक्त के विरुद्ध थाना बिरसा में अप.क.—109 / 13 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 दर्ज कराई थी, जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं एवं साक्षी ने आहत सगनु को मुलाहिजा के लिए सी.एच.सी. बिरसा भेजा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने
- 11— चिकित्सक एम. मेश्राम अ.सा.05 का कहना है कि दिनांक—15.08.2013 को थाना बिरसा से आरक्षक भूपेन्द्र क्रमांक—1218 आहत सगनु को साक्षी के समक्ष मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर आया था। चिकित्सक ने आहत का परीक्षण करने पर निम्न उपहितयां पाई थी। चोट क—1 दाहिनी कोहनी में खरोंच, जिसका

अभियुक्त के विरूद्ध झूठा प्रकरण बनाया है।

आकार डेढ़ इंच गुणा एक इंच था। चोट क—2 छाती के दाहिने भाग पर साढे चार इंच के गोल दायरे पर चमड़ी क्षत—विक्षत अवस्था में पाई गई थी। चिकित्सक के मतानुसार चोट कमांक—1 किसी कड़ी एवं खुरदुरी बस्तु द्वारा एवं चोट कमांक—2 मानव के दांत से काटा जाना दर्शित होकर चिकित्सक के परीक्षण से 6 घंटे के अंदर की होकर साधारण प्रकृति की थी, जिन्हें ठीक होने में 8 से 10 दिन का समय लग सकता था। चिकित्सक की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—4 है, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके द्वारा मेडिकल रिपोर्ट में मानव दांत के काटने से संबंधित रिपोर्ट संभावनाओं के आधार पर तैयार की गई थी। साक्षी ने उक्त रिपोर्ट में किन मापदण्डों का उल्लेख किया था, उसका उल्लेख रिपोर्ट में नहीं है।

प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी दिनेश अ.सा.०३, सूरजलाल अ.सा.०४ ने उनकी साक्ष्य में प्रकरण की घटना का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण के फरियादी सगनुसिंह अ.सा.01 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में यह लिखाया था, कि अभियुक्त ने उसे पकड़कर हाथ-मुक्कों से मारा था, जिससे उसके दाहिने हाथ में चोट लगी थी एवं अभियुक्त ने फरियादी को दाहिने तरफ सीने में दांत से काट लिया था। फरियादी ने उसकी साक्ष्य से प्रदर्श पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखाई गई, दांत से काटने की उपहति की पृष्टि की है। फरियादी के सीने में अभियुक्त ने दांत से काटा था। उक्त उपहति की पुष्टि संतलाल अ.सा.02 ने उसकी साक्ष्य में की है। बचाव पक्ष की ओर से फरियादी सगन्सिंह एवं साक्षी संतलाल पर विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है, परंतु उक्त दोनों साक्षीगण की प्रतिपरीक्षण की साक्ष्य में घटना के संबंध में कोई सारवान खण्डन नहीं हुआ है। चिकित्सक एम. मेश्राम अ.सा.०५ ने भी उनकी साक्ष्य से एवं प्रदर्श पी-4 की मेडिकल रिपोर्ट से फरियादी के सीने की उपहति की पुष्टि की है। इस कारण यह प्रमाणित माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर धारदार दांतो को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुए आहत सगुनसिंह को धारदार दांतों से काटकर एवं हाथ मुक्के से मारकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की थी।

13— प्रकरण की उपरोक्त विवचेना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 का आरोप प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

14— अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थिगत किया गया।

(दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर, जिला–बालाघाट म.प्र.

/ / <u>दण्डाज्ञा</u> / /

15— अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा—4 के उपबंधों का लाभ दिये जाने पर विचार किया गया। अभिलेख पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। चूंकि प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है। यद्यपि भा.द.वि. की धारा—324 के आरोप को एवं ऐसे समझौते को विधि के अंतर्गत अपराध के समन का आधार नहीं बनाया जा सकता है, किंतु प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि पक्षकारों के मध्य समझौता हो जाने से उनके संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहें एवं शांति स्थापित रहे। अभियुक्त को कारावासीय दंड दिया जाना उचित नहीं है। अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम की धारा—4 के उपबंधो का लाभ दिया जाना आवश्यक है। अतः यह आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त न्यायालय के संतोषप्रद 10,000/—दस हजार रूपये का मुचलका एवं इतनी ही राशि की सक्षम प्रतिभूमि इस आशय की प्रस्तुत करे कि वह आगामी एक वर्ष तक शांति एवं सदाचरण बनाये रखेगा किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा एवं न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर दंड भुगतने के लिए उपस्थित होगा तो अभियुक्त को परिवीक्षा पर मुक्त किया जावे।

- 16— अभियुक्त का धारा–428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 17— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर जिला–बालाघाट म.प्र. (दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर, जिला–बालाघाट म.प्र.